न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 78/2016 दायरा दिनांक : 18.04.2016

उनवान

1– लाल चन्द आत्मज सरदार, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– गोकुल आत्मज उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– बनेसिंह आत्मज उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– मनोहर लाल आत्मज उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– पप्पू आत्मज उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– सरिता पुत्री उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– कविता पुत्री उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– गीता पुत्री उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– रोड़ी बाई बेवा उदा, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कन्हीराम आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2– मदन लाल आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– कालू लाल आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– घनश्याम आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– बापू लाल आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– पूरी बाई पुत्री गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– पांची बाई पुत्री गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8– बादाम बाई पुत्री गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

9– फूलचन्द आत्मज सरदार, जाति भील, निवासी ग्राम देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.10.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 05/दावा/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 09.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम देवरी चंचल की कुल 76 बीघा 11 बिस्वा आराजी के मामले में रेस्पोडेंट कम 1 वादी का वाद डिक्री कर 1/40 भाग पृथक खाते दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.02.2016 को अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण जवाब का अवसर बन्द कर एक तरफा कार्यवाही कर उसी दिन साक्ष्य वादी लेकर, उसी दिन बहस सुनकर वादी रेस्पोडेंट कम 1 का वाद डिक्री कर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य के अभाव में न्याय से वंचित रह गये हैं । कानूनन अपीलांट को साक्ष्य एवं जवाबदावा पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्तियां पेश कर सके । विवादित आराजी में रेस्पोडेंट कम 1 वादी का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 1, 1/40 हिस्सा पृथक करवाने का अधिकारी नहीं है । रेस्पोडेंट कम 1 खातेदार भूली के हिस्से की आराजी में भी कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी आराजी के मामले में विधिवत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2016 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.02.2016 को अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को सुनवायी, साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया और एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दिनांक 09.02.2016 अपास्त की जाये । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2016 पेज 87 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि दिनांक 06.02.2015 को दावा घोषणा एवं विभाजन का पेश किया । दिनांक 15.04.2015 वकालतनामा में श्री पुरूषोत्तम जी खण्डेलवाल अभिभाषक उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 01.07.2015, 19.08.2015, 5.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 31.12.2015 को पत्रावली जवाबदावे के इन्तजार में थी । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड के अनुसार बंटवारा किया है जो सही है । एक तरफा निर्णय में कोई सूचना नहीं दी जाती है । नई सी. पी. सी. में तो जवाब हेतु एक माह का समय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय किया है । अतः अपील खारिज की जावे । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में सी. पी. सी. 1908 आर्डर 8 नियम 1 पेज 222, आर. आर. डी. 2016 पेज 142, डब्ल्यू. एल. सी. 2015 (1) एच. सी. राजस्थान पेज 448 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावे हेतु 3 अवसर दिये गये। इसके बावजूद जवाब दावा पेश नहीं किया गया दिनांक 9.02.16 को प्रतिवादीगण अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी रेस्पोडेंट की शहादत ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड के अनुसार बंटवारा किया गया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 09.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा